झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :– **राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य के संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने संबंधी निर्णय।**

राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों के विरुद्ध की जा रही नियुक्तियों में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य मानने संबंधित निर्णय विभागीय संकल्प (ज्ञापांक– त0शि0प्र0नि0स0–14/2017–403, दिनांक 12.05.2017) द्वारा निर्गत किया गया।

2) राज्य में कई ऐसे AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान है जो विभिन्न विभागान्तर्गत संचालित हैं एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, राँची से संबद्धता प्राप्त नहीं हैं। इन संस्थानों के छात्र–छात्राओं द्वारा भी उक्त नियोजन हेतु उनके डिप्लोमा को भी इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3) इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों में इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष शैक्षणिक अर्हता वाले पदों पर राज्य में अवस्थित संस्थानों में संचालित AICTE से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को इंटरमीडिएट (10+2) के समतुल्य माना जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

6/6/17

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: त0शि0प्र0नि0स0–14/2017 – 471 /रांची, दिनांक:– 05/06/17

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियों सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एव हक0), झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।

06/6/17

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

कु0पृ0उ0